न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3837–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इंदौर, प्रकरण क्रमांक 59/अपील/2010–11.

.....

1–श्री मुंशी पिता बद्रीलाल

2–श्रीमती सुशीलाबाई पति रमेश मुकाती

3–जितेन्द्र पिता रमेश

4–सुनील पिता रमेश

5–अनिल पिता रमेश

6–माखन पिता बद्रीलाल

7–प्रेमबाई पति स्व0बाबू

8–राहुल पिता स्व0बाबू उर्फ संदीप

9–रोहित पिता स्व0 बाबू

सभी निवासीगण खाती मोहल्ला मुसाखेडी

तहसील व जिला इंदौर

10–बबलीबाई पति मनोज चौधरी

निवासी बावल्याखुर्द तहसील व जिला इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्री लखन पिता बद्रीलाल उर्फ रामप्रसाद मुकाती

निवासी खाती मोहल्ला मुसाखेडी

तहसील व जिला इंदौर ..... अनावेदक

.....

श्री विनीत जोशी, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री एस0के0बकौरे, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 1/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 35 पर पारित आदेश दिनांक 18–4–1994 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 7–3–11 को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई तथा साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन एवं संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 59/अ/2010–11 दर्ज कर दिनांक 22–7–2013 को आदेश पारित कर अनावेदक के दोनों आवेदन पत्र स्वीकार किये जाकर प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी बद्रीलाल की मृत्यु 1981 में हो गई थी और वर्ष 1984 में पारित नामन्तरण आदेश की जानकारी अनावेदक को प्रारंभ से ही रही है । इसके बावजूद भी उसके द्वारा लंबी अवधि पश्चात् अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दुर्भावना पूर्वक प्रस्तुत की गई थी एवं संहिता की धारा 48 के आवेदन के समर्थन में भी कोई पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये थे । इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी आधार लिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 17 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी और प्रत्येक दिवस के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया था ।

इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । लिखित तर्क में यह भी आधार लिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत आवेदन पत्र लंबित था तो अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं था । उनके समक्ष प्रस्तुत अपील प्रीमैच्योर थी । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । इस संबंध में 2014 आरएन 257 एवं 2013 आरएन 300 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना अनावेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया था ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में पूर्णत वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक के सार्थक प्रयास करने के बावजूद भी उसे वादग्रस्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हो रही थी इसलिये न्यायहित में संहिता की धारा 48 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में भी वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं जबकि प्रकरण का वास्तव में निराकरण गुणदोष के आधार किया जाना चाहिये । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक की ओर से तहसीलदार के नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील लगभग 17 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण अनावेदक को तहसीलदार द्वारा आदेश की सूचना नहीं देना और तहसील न्यायालय से खसरे व खतौनी की नकल लेने पर जानकारी होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु उनके

द्वारा ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में लगभग 17 वर्ष पश्चात् उसे खसरे व खतौनी की आवश्यकता हुई और उसके द्वारा खसरा व खतौनी प्राप्त करने के संबंध में भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि अनावेदक के पिता के स्थान पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है और अनावेदक के पिता की मृत्यु के उपरांत अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर स्वयं का नामान्तरण कराने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अनावेदक के अन्य भाईयों द्वारा भी नामान्तरण आदेश को चुनौती नहीं दी गई है । इससे स्पष्टतः निष्कर्ष निकलता है कि अनावेदक सहित बद्रीलाल के सभी वारिस की सहमति से नामान्तरण किया गया है, ऐसी स्थिति में 17 वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि जैसा कि उपर विश्लेषण किया गया है कि अनावेदक द्वारा 17 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं बतलाया जा सका है । 2013 आरएन 300 मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध राजाराम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जानकारी स्त्रोत के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं । जानकारी का स्त्रोत समाधानकारक नहीं होने से विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है । अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2013 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर